True Translated Copy

Date: 17/07/2025

To,
The Hon'ble Chairperson,
National Green Tribunal (NGT),
Delhi.

Subject: Request for action against encroachment carried out in the Sonadubbi River by the General Manager and Chairman of M/s Monet Daniel Coal Washery Private Limited, KDH Dakra, and for making the Sonadubbi River free from encroachment.

Reference:

1. Memo No. 647 (ii) dated 21/10/2022 issued by the Circle Officer, Khalari
2. Letter No. 810 (ii) / Naja dated 12/06/2023 issued by the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Ranchi
3. Notice dated 26/08/2023 issued by the Circle Officer, Khalari

Sir,

I submit that I, Manoj Kumar (Social cum RTI Activist), am a resident of Village Mahavir Nagar, Khalari, District Ranchi, State of Jharkhand. These days, I have been continuously raising my voice against the culprits who are polluting and encroaching upon the Sonadubbi River, and I am corresponding with various authorities to save the very existence of the Sonadubbi River.

Sir, I would like to inform you that the Sonadubbi River falls under the Khalari Block-cum-Circle Office in District Ranchi, Jharkhand. Its existence is now on the verge of extinction. If timely attention is not paid to the Sonadubbi River, its water will become as toxic as the water of the Yamuna River in Delhi, and the width of the river will continue to shrink. This will adversely affect the lives of thousands of people in this area. I would further like to inform you that thousands of villagers from 3 to 4 villages depend on the water of the Sonadubbi River. Moreover, the Sonadubbi River flows further and merges into the Damodar River (hence it is also known as a tributary of the Damodar River).

Sir, if the Sonadubbi River is in such a pathetic condition today, the responsibility lies with the General Manager and Chairman of M/s Monet Daniel Coal Washery Private Limited, established at KDH under Khalari Block, who have encroached upon the Sonadubbi River by bringing it within their boundary wall and are exploiting it. If the above-referenced letters are examined carefully, the Circle Officer, Khalari himself has admitted that the Monet Daniel company has illegally erected 12 pillars in the middle of the river and has encroached upon the river land by 10 to 50 feet at various places, and is discharging chemical-laden coal waste into the river.

The Circle Officer, Khalari had also ordered the General Manager of Monet Daniel to demolish and remove the 12 illegal pillars and encroachments from the river land, but despite this, the encroachments have not been removed from the river land till date.

When no action was taken by the Circle Office, the matter was placed before the Hon'ble Deputy Commissioner, Ranchi. The Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Ranchi, through his signed letter No. 810 (ii) / Naja dated 12/06/2023, also directed the Circle Officer, Khalari to take action. However, after about two months, the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate's Court imposed a stay on the action, contrary to the orders issued by himself and the Circle Officer. Due to this stay, the encroached land of the Sonadubbi River has not been freed from the encroachers till date, which is a matter of grave concern.

Sir, water, forests, land, and rivers are natural resources; they are nature itself. It is only because of nature that humans, citizens, animals, and other living beings are able to exist safely on this earth. If any individual or company, driven by selfish interests, interferes with and exploits natural resources (rivers), then all of us inhabitants of the earth will have to bear the consequences in the form of natural disasters.

Since I have, on several occasions, informed officials from the Circle Office to the District Office about the above-mentioned matter by submitting around 200 letters, and have requested that the Sonadubbi River be freed from encroachment and pollution, but till date no action whatsoever has been taken on my applications. In this matter, I have also repeatedly appealed through letters to the Deputy Commissioner, Ranchi; the Chief Secretary, Jharkhand; the Department of Land Reforms, Jharkhand; and the Pollution Control Department, Jharkhand, but I have only faced disappointment from there as well.

Today, with a new hope, I am submitting this application to you and earnestly expect action from your end. I have full faith that you will take cognizance of this public interest matter, conduct due examination of issues related to water, forests, land, and rivers, take necessary action against the culprits, and ensure that the Sonadubbi River is made free from encroachment and pollution.

I shall always remain grateful to you for your action.

Thanking you.

Applicant (Social cum RTI Activist)
Manoj Kumar
Mahavir Nagar, Khalari
P.O. & P.S. Khalari (829205)
Ranchi (Jharkhand)
Contact No.: 9431791588, 8235210332

मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी प्राईवेट लिमिटेड के०डी०एच० डकरा के महाप्रबंधक एवं चेयरमैन द्वारा सोनाडुब्बी नदी में किये गये अतिक्रमण पर कार्रवाई करने एवं सोनाडुब्बी नदी को अतिक्रमण मुक्त करवाने के संबंध में।

1749/UP/25
15/09/25

< manojkumarmanoj94317@gmail.com >
Thu, 17 Jul 2025 6:45:57 PM +0530

To "publicgrievance-ngt"<publicgrievance-ngt@gov.in>

दिनांक 17/07/2025

सेवा में,
अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
दिल्ली।

विषय - मेसर्स मोनेट डेनियल कोल वाशरी प्राईवेट लिमिटेड के०डी०एच० डकरा के महाप्रबंधक एवं चेयरमैन द्वारा सोनाडुब्बी नदी में किये गये अतिक्रमण पर कार्रवाई करने एवं सोनाडुब्बी नदी को अतिक्रमण मुक्त करवाने के संबंध में।

प्रसंग - अंचल अधिकारी खलारी का ज्ञापांक 647 (ii) दिनांक 21/10/2022

प्रसंग - उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी राँची का पत्रांक 810 (ii) / नजा- दिनांक 12/06/2023

प्रसंग अंचल अधिकारी खलारी का नोटिस दिनांक 26/08/2023

महोदय,
निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा मैं मनोज कुमार (Social cum RTI Activist) ग्राम महावीर नगर खलारी, जिला राँची, राज्य झारखण्ड का निवासी हूँ। इन दिनों मैं सोनाडुब्बी नदी को प्रदूषित एवं अतिक्रमण करने वाले दोषियों के प्रति अपनी आवाज बुलंद करते हुए सोनाडुब्बी नदी का अस्तित्व बचाने के लिये पत्रचार कर रहा हूँ।

महाशय, बतलाना चाहूँगा झारखण्ड राज्य में जिला राँची के खलारी प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय अंतर्गत सोनाडुब्बी नदी आती है जिसका अस्तित्व अब खत्म होने के कगार पर है अगर वक्त रहते सोनाडुब्बी नदी की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया तो इसका जल भी दिल्ली की यमुना नदी के जल की तरह जहरीली हो जायेगी और नदी की चौड़ाई सिमटती चली जाएगी। इसका दुष्प्रभाव यहाँ के हजारो लोगो के जीवन पर पड़ेगा। बतलाना चाहूँगा इस सोनाडुब्बी नदी के जल पर 3 से 4 गाँव के हजारो ग्रामीण निर्भर है साथ ही साथ सोनाडुब्बी नदी की जल बहती हुई आगे जा कर दामोदर नदी से भी मिलती है (जिसे सोनाडुब्बी नदी को दामोदर की सहायक नदी के नाम से भी जाना जाता है)

श्रीमान जी, आज अगर सोनाडुब्बी नदी की यह दुर्दशा (हालत) हुई है तो इसका जिम्मेदार खलारी प्रखण्ड अंतर्गत केडीएच में स्थापित मोनेट डेनियल कोल वाशरी प्राईवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक एवं चेयरमैन है जो सोनाडुब्बी नदी को अपने चारदिवारी के अंदर कब्जे में लेकर उसका दोहन कर रहे है। उपरोक्त प्रसंग पत्र का गहराइयों से अवलोकन किया जाये तो अंचल अधिकारी खलारी ने खुद माना है की मोनेट डेनियल कंपनी ने नदी के बिचो बिच 12 अवैध पीलर गाड़ कर नदी के भू भाग में विभिन्न स्थानो पर 10 से 50 फिट तक अतिक्रमण कर रसायन युक्त कोयला का वेस्ट नदी में बहा रही है।

अंचल अधिकारी खलारी ने मोनेट महाप्रबंधक को नदी के भू भाग से 12 अवैध पिलर एवं अतिक्रमण को जमीनदोज़ करने का आदेश भी दिया किन्तु उसके बाद भी आज तक नदी के भू भाग से अतिक्रमण को हटाया नहीं गया है।

अंचल द्वारा कार्रवाई ना होता देख जब मामले को उपायुक्त महोदय राँची के समक्ष रखा गया तो उपायुक्त - सह - जिला दण्डाधिकारी राँची ने अपने हस्ताक्षर युक्त पत्रांक 810 (ii) /नजा. दिनांक 12/06/2023 में अंचल अधिकारी खलारी को कार्रवाई करने का आदेश भी दिया किन्तु करीब दो महीने बाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी न्यायालय के द्वारा अपने एवं अंचल अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक (स्टे) लगा दिया गया जिसके कारण आज तक सोनाडुब्बी नदी से अतिक्रमण की भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त नहीं करवाया गया है जो एक अति चिंतनीय विषय है।

महाशय - जल, जंगल, जमीन, नदियां एक प्रकृति संसाधन है प्रकृति है तभी पृथ्वी पर मनुष्य, नागरिक, जानवर एवं अन्य प्राणी भी सही सलामत अपने आप को महसूस कर रहे अगर प्रकृति संपदा (नदियों) से कोई मनुष्य या कंपनियाँ आपसी स्वार्थ में छेड़ छाड़ करते हुए उसका दोहन करेगी तो प्राकृतिक आपदा का खामियाजा भी हम सब पृथ्वी वाशी मानव को भुगतना पड़ेगा।

चुकीं मैंने कई बार इन सब उपरोक्त मामले से अंचल कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक अधिकारियों को करीब 200 पत्र देकर मामले से अवगत करवाया एवं सोनाडुब्बी नदी को अतिक्रमण एवं प्रदूषण मुक्त करने का गुहार लगाया लेकिन आज तक मेरे दिये गए आवेदन पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। उपरोक्त मामले में उपायुक्त राँची, मुख्य सचिव झारखंड, भूमि सुधार विभाग झारखंड, प्रदूषण विभाग झारखंड को भी मैंने कई बार पत्र के माध्यम से कार्रवाई की गुहार लगायी लेकिन यहाँ से भी मुझे निराशा हाथ लगी। आज मैं एक नयी उम्मीद के साथ आपको आवेदन पत्र शौप रहा हूँ आपसे कार्रवाई की आपेक्षा रहेगी। मुझे आपसे पूर्ण आशा है आप जल, जंगल, जमीन एवं नदियाँ को सर्वेछन देकर इस जनहित मामले को संज्ञान में लेकर दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए सोनाडुब्बी नदी को अतिक्रमण एवं प्रदूषण मुक्त करवाएँगे।

आपके इस कार्रवाई के लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा।

धन्यवाद

आवेदक (Social cum RTI Activist)
मनोज कुमार
महावीर नगर खलारी
पो. थाना खलारी (829205)
राँची, (झारखंड)
संपर्क सं 9431791588, 8235210332